

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2026
कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 25 मार्च, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 17
सन 1976 की
धारा 3 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (8) में,—

(क) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात:—

“परन्तु यह कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य निम्नलिखित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उस पद पर नहीं रहेगा:—

(क) अध्यक्ष के मामले में सड़सठ वर्ष की आयु; और

(ख) उपाध्यक्ष अथवा सदस्य के मामले में पैसठ वर्ष की आयु।”;

(ख) उपधारा (8—ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

“(8—घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (8) के उपबंध उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ होने पर पद धारण करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों पर भी लागू होंगे।”।

निरसन और
व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, सन् 2026) और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2026) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में समस्त लोक सेवकों के नियोजन से सम्बंधित मामलों के सम्बंध में विवादों का अधिनिर्णय करने के लिए अधिकरण के गठन हेतु उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976) अधिनियमित किया गया है।

अधिकरण में लम्बित मामलों के संचित कार्य को कम करने और अधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों का पद धारण करने हेतु अधिक अनुभवी अभ्यर्थियों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से उसके अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों का पद धारण करने के लिए अधिकतम आयु में वृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत हुयी।

उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 संशोधित करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जून, 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976

धारा 3 (8) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, किन्तु वह पांच वर्ष की एक और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

परन्तु कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इस रूप में निम्नलिखित आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा:-

(क) अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु; और

(ख) उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु।

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL)
(AMENDMENT) BILL, 2026

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India
as follows :-

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2026. Short title and
commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 25th day of
March, 2026.

Amendment of
Section 3 of U.P.
Act No. 17 of
1976

2. In sub-section (8) of the section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976,—

(a) *for* the proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :—

“Provided that no Chairman, Vice-Chairman or Member shall hold office as such after he has attained,—

(a) in the case of Chairman, the age of sixty-seven years; and

(b) in the case of Vice-Chairman or Member, the age of sixty-five years.”;

(b) *after* sub-section (8-c), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

“(8-d) The provisions of sub-section (8) as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, 2026 shall apply also to the Chairman, Vice-Chairman and Members holding office on the commencement of the said Ordinance.”.

Repeal and
savings

3. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 5 of 2026) and the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Second Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 16 of 2026) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 (UP. Act No. 17 of 1976) has been enacted to provide for the constitution of tribunal to adjudicate disputes in respect of matters relating to employment of all public servants of the State of Uttar Pradesh.

In order to reduce the backlog of pending cases in the Tribunal and to enable more experienced candidates to hold the position of Chairperson/Vice-Chairperson/Members of the Tribunal, a need was felt to increase the maximum age for holding the office of Chairperson/Vice-Chairperson/Members thereof.

In view of the above, it was decided to amend section 3 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Second Amendment) Ordinance, 2026 (U. P. Ordinance No. 16 of 2026) was promulgated by the Governor on 10th of June, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH

Mukhya Mantri.